न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी : ओ0पी0बिश्नोई आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 01/2022

अपीलाण्ट्स	बनाम	रेस्पोन्डेन्ट
1. मूलाराम पुत्र कोसलाराम जाट निवासी– पौषाल, तहसील शिव जिला बाडमेर।		1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, शिव जिला बाडमेर।

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम, 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, शिव, जिला बाडमेर के द्वारा जारी आदेश क्रमांक राजस्व/2017/273 दिनांक 27.10.2017 को पारित किया गया।

उपस्थितिः–

1– श्री रेखाराम चौधरी, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से ।

2– श्री नवल सिह दहिया राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0सं0 1 की ओर से।

निर्णय

दिनांक२० फरवरी, 2023

उक्त अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलान्ट की पैतृक भूमि ग्राम पौषाल तहसील शिव, जिला बाडमेर के खसरा संख्या 176 रकबा 09 बिस्वा गै0मु0 ढाणी, ख0सं0 177 रकबा 124 बीघा आई हुई है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा रास्ते सम्बन्धी समस्याओं के निवारण अभियान, 2016 के अनुसरण में एकपक्षीय आदेश दिनांक 27.10.17 को पारित करते हुए अपीलान्ट के पैतृक कृषि भूमि के बीचों–बीच, मनमाने तरीके से, बिना सुनवाई का अवसर प्रदान किये, बिना नोटिस दिये ही रहवासीय ढाणी के अन्दर से कटाण रास्ता की स्वीकृति प्रदान कर दी गई, जबकि अपीलान्ट के खेत के कणे (माठ) पर पूर्व में रास्ता निकलता था जहॉ पर आज डामर सडक का निर्माण भी पूरा हो चुका है। अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा पारित आदेश से व्यथित होकर अपीलान्टस ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की है।

पक्षकारो के अधिवक्ता उपस्थित। उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। दौरान सुनवाई अपीलान्ट अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की सर्वप्रथम जानकारी वर्ष 2021 में प्रशासन गांवों के संग अभियान के समय चली जब अपीलान्ट के खेत के बीचों बीच कटाण रास्ता काट दिया गया है। अपीलान्ट एक अतिवृद्ध व्यक्ति होने के कारण व ग्रामीण परिवेश का व निरक्षर व्यक्ति होने से समय पर पता नहीं चला। अपीलान्ट के द्वारा आवश्यक दस्तावेज की नकले लेकर अपने अधिवक्ता के माध्यम से यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है, अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी सदभाविक है जिसे क्षमा करते हुए अपील को अन्दर म्याद शुमार की जावें तथा प्रकरण का निस्तारण गुणावगुण पर किया जावें।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने एकतरफा आदेश पारित करने में कानूनी व तथ्य की भूल की है जो गलत होने से निरस्त योग्य है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा अपीलान्ट को बिना कोई नोटिस जारी किये ही बिना

अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

सुनवाई का अवसर प्रदान किये एकपक्षीय आदेश पारित किया है ऐसे में अपीलाधीन आदेश काबिल खारिज होने से निरस्त योग्य है।

वकील अपीलांट ने यह कथन किया कि अपीलाधीन प्रकरण में अपीलान्ट की गैर मौजूदगी में, बिना जॉच किये, बिना मौका निरीक्षण किये, पटवारी की रिपोर्ट मंगवाये ही एकपक्षीय आदेश जारी किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल के द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों को नजर अंदाज करते हुए आदेश पारित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राजस्व विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 10.08.2016 के अनुसरण व राज्य सरकार द्वारा संचालित रास्ते सम्बन्धी समस्याओं का निराकरण अभियान, 2016 के अनुसरण में अपीलाधीन आदेश जारी नहीं किया है क्यो कि उपरोक्त परिपत्र में पक्षकार की सहमति होना आवश्यक है, अपीलाधीन प्रकरण में अपीलान्ट की कोई सहमति नहीं ली गई। उपरोक्त खसरान भूमि की सही ढंग से सीमांकन नहीं किया गया जबकि पुरानी पगडंडी कणे होकर जा रही है वहॉ वर्तमान में डामर सडक का निर्माण किया गया है, अपीलाधीन आदेश के जरिये मनमाने तरीके से सीधा कटाण कर अपीलान्ट के खेत को दो भागों में बांट दिया है ढाणी के अन्दर से कटाण रास्ता निकाला है, अपीलान्ट के खेत के माठ पर वर्तमान में डामर सडक बनी हुई है उसी अनुसार कटाण रास्ता किया जाना चाहिये था, जिससे रहवासीय ढाणी व टांके को कोई क्षति नहीं होती, व नजरी नक्शे में लाल स्याही से दर्शाये अनुसार कटाण रास्ता निकाला जाता जिससे किसी पक्षकार को कोई क्षति नहीं होती। ऐसे में पारित आदेश गलत व विधि विरूद्ध होने से निरस्त करने योग्य है। अतः अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जावे तथा एकपक्षीय रूप से पारित किया गया अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए अपीलान्ट के माठ पर वर्तमान में डामर सडक निकल रही है, उसके अनुसार कटाण रास्ता काटने का आदेश प्रदान करावें।

प्रत्युतर में रेस्पोडेन्ट की ओर राजकीय अधिवक्ता ने यह कथन किया कि अधिनस्थ न्यायालय के द्वारा तहसीलदार शिव की ओर से जरिये पत्रांक 1152 दिनांक 03.04.2017 के द्वारा ग्राम पौषाल में उल्लेखित खसरान भूमि में से चल रहे कदीमी रास्ता भूमि/रास्ते के उपयोग में आ रही खसरान की रकबा भूमि को राजस्व अभिलेख में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज कराने बाबत प्रस्तुत किये गये प्रकरण को दर्ज करते हुए नियमानुसार कार्यवाही सम्पादित करने के उपरान्त अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, जो बहाल रखे जाने योग्य है अतः उक्त अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत अपील अस्वीकार की जावें।

हमने उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। अपीलान्ट के द्वारा अपील को अन्दर म्याद शुमार किये जाने बाबत किये गये कथनों के आधार पर अपील अन्दर म्याद शुमार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं उसमे उपलब्ध दस्तावेजो, अपीलांधीन आदेश दिनांक 27.10.2017 का अवलोकन किया गया। जिससे यह पाया गया कि उपखण्ड अधिकारी, शिव के द्वारा ग्राम पौषाल में खसरा संख्या 177, 176, 174 में गैर मुमकीन रास्ता दर्ज किये जाने के आदेश पारित किये गये है। मौका रिपोर्ट प्राप्त किये जाने पर पाया कि मौके पर पक्की सड़क का निर्माण किया हुआ है जो गैर मुमकीन रास्ता हेतु रिकार्ड में दर्ज स्थान से भिन्न स्थान पर चल रही है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर पूर्व में गैर मुमकीन रास्ता सम्बन्धी

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश को अपास्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, शिव को निर्देशित किया जाता है कि मौका रिपोर्ट अनुसार बनी हुई पक्की सड़क अनुसार गैर मुमकीन रास्ता सम्बन्धी आदेश विधिवत जारी किया जावें। निर्णय आज दिनांक 20 फरवरी, 2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जोधपुर

आदेश को अपास्त किया जाकर उपखण्ड अधिकारी, शिव को निर्देशित किया जाता है कि मौका रिपोर्ट अनुसार बनी हुई पक्की सड़क अनुसार गैर मुमकीन रास्ता सम्बन्धी